उन तारीखों से स्वीकार कर लिया जिस तारीख से वे भारत के अंग बने थे। इस संधि के द्वारा पुर्तगाल और इन भारतीय प्रदेशों के बीच सभी प्रकार के सम्बन्ध समाप्त कर दिए गए थे।

(ख) फ्रांस के साथ सत्तांतरण संधि द्वारा भारत ने एक नवम्बर, 1974 से पूर्व के इन स्थापनाओं के प्रशासन के अधिकार और दायित्व अपने ऊपर ले लिए। फ्रांस ने जहां अपने औपनिवेशिक अधिकार छोड़े वहां भारत सरकार ने इन प्रदेशों में फ्रांस के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक किस्मों के संस्थानों को चलाते रहना स्वीकार किया। इस संधि का उद्देश्य इस बात का सुनिश्चय करना था कि भारत और फ्रांस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के भावी विकास के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना भारत भूमि पर फ्रांसीसी शासन समाप्त हो जाए।

पुर्तगाल के साथ सम्पन्न संधि में राजनयिक संबंध पुन: स्थापित करने, सांस्कृतिक संबंध विकसित करने तथा दोनों देशों के बीच सभी प्रश्नों को द्विपक्षीय बातचीत द्वारा हल करने की व्यवस्था है जिनमें कि सम्पत्ति, आस्तियों और दावों से सम्बद्ध प्रश्न भी शामिल हैं।

इस संधि का प्रयोजन भारत और पुर्तगाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की पुर्नस्थापना है।

पाकिस्तान में तीर्थ स्थानों की यात्रा करने की अनुमति देना

2321. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) कितने भारतीय लोगों को पाकिस्तान स्थित तीर्थ-स्थानों की और कितने पाकिस्तानी लोगों को भारत स्थित तीर्थ-स्थानों की यात्रा करने की अनुमति मिली हुई है और क्या वे व्यक्ति प्रति वर्ष नियमित रूप से इन स्थानों की यात्रा करते हैं; और

(ख) क्या भारत के कुछ अन्य दलों के व्यक्तियों ने सरकार से पाकिस्तान में अन्य धार्मिक स्थानों की यात्रा करने की अनुमति मांगी है और यदि हां, तो यह अनुमति किस-किस ने और किन-किन स्थानों के लिए मांगी है; और

(ग) उस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): (क) भारत और पाकिस्तान के धार्मिक स्थानों की यात्रा करने की अनुमति प्रदान करने के लिए व्यक्तियों की कोई संख्या निश्चित नहीं की गई है। दोनों के तीर्थ यात्री प्रति वर्ष निरंतर एक दूसरे देश की यात्रा करते रहे है।

(ख) और (ग). पाकिस्तान स्थित धार्मिक स्थानों की यात्रा करने के लिए निम्नलिखित भारतीय संगठनों ने दलों में यात्रा करने की अनुमति मांगी है :—

(1) अखिल भारतीय सिन्धी समाज, इन्दौर ने साधु बेला समाधि, सक्कर की यात्रा के लिए।

(2) श्री सनातम धर्म संस्था, अम्बाला छावनी; श्री कटास राज, जिला झेलम की यात्रा के लिए।

(3) श्री आत्मानंद जैन महासभा, दिल्ली ने समाधि मंदिर, गुजर वाला की यात्रा के लिए।

(4) रूहानी अंजुमन, दिल्ली; गुरू-देव शहनशाह गोदारीवाला, गुजरात की यात्रा के लिए।

पाकिस्तान की सरकार से स्वीकृत धार्मिक स्थलों की सूची में पारस्परिकता के आधार पर विस्तार करने के लिए सम्पर्क स्थापित किया गया है ताकि उपर्युक्त धार्मिक स्थलों को भी इसमें शामिल किया जा सके। लेकिन उनका कहना है कि फिलहाल भारतीय तीर्थ यात्रियों द्वारा दलों की यात्राएं अभी पूर्ण स्वीकृत तीर्थ स्थलों तक ही सीमित रखी जाएं ।

सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग

2322. **श्री नावाब सिंह चौहान** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में हिन्दी में काम करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं और इस कार्य की देखभाल करने वाले अधिकारियों का स्तर क्या है ;

(ख) हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य हो इसके लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं और भविष्य के लिए इस बारे में क्या योजनायें हैं ; और

(ग) क्या इस कार्य की समीक्षा करने के लिए एक संसदीय समिति गठित की गई है और यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी): (क) और (ख). इस मंत्रालय में एक हिन्दी अनुभाग है जो संयुक्त सचिव के दर्जे के एक अधिकारी के अधीन कार्य करता है जिसकी सहायता के लिए एक विशेषाधिकारी है । स्पष्टत: बढ़े हुए काम को पूरा करने के लिए और हिन्दी के प्रयोग को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए समुचित कदम उठाये जा रहे हैं जिनमें पदों की संख्या की वृद्धि भी शामिल है ।

(ग) जी, नहीं । लेकिन इस मंत्रालय में केन्द्रीय हिन्दी समिति की उपसमिति है और इसके पुनर्गठन के विषय में विचार किया जा रहा है ।

रबूपुरा (उत्तर प्रदेश) में टेलीफोन कनेक्शन

2323. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की टेलीफोन सलाहकार समिति ने 6 या 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जिला बुलन्दशहर के रबूपुरा कस्बे में टलीफोन सेवायें प्रदान करने की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या मुरादाबाद सर्किल ने यहां टेलीफोन लगाने के लिए खम्भे और तार खींचे थे;

(ग) क्या निहित स्वार्थों के कारण वहां अभी तक टेलीफोन नहीं लग पाये हैं जिसके परिणामस्वरूप यहां के व्यापार को काफी हानि हो रही है ; और

(घ) सरकार का विचार वहां टेली-फोन कब तक लगाने का है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (घ). वर्ष 1969 में रबूपुरा में एक छोटा आटोमैटिक एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव रखा गया था । वहां के लिए टेलीफोन लेने के इच्छुक केवल 5 व्यक्तियों ने ही अपनी मांग दर्ज कराई थी । इसलिए वहां एक्स-